महाप्रबंधक कार्यालय
पश्चिम मध्य रेल,
इंद्रा मार्केट, जबलपुर

यात्रीयो के लिए आवश्यक सूचना

रेल मंत्रालय द्वारा यात्रियों के लिए दिनांक 01.06.2020 से विशेष गाड़िया चलने का निर्णय लिया गया हैं। सुरक्षित यात्रा हेतु यात्रियों को यात्रा के आरंभ में तथा गंतव्य स्टेशन पर कोविद–19 के दुष्प्रभाव को देखेते हुए विशेष सावधानी बरतनी होगी।

1) यात्री के पास कन्फर्म टिकट होने पर ही स्टेशन पर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2) प्रत्येक यात्रियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना आवश्यक होगा।
3) रेल यात्रियों को कोविड सक्रमण से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा के प्रस्थान समय से कम से कम 90 मिनिट पहले स्टेशन पर पहुचना होगा। जिससे थर्मल स्क्रीनिंग की जा सके।
4) यदि किसी यात्री में कोविड–19 के लक्षण जैसे तेज बुखार पाए जाते है तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे यात्री टिकट परीक्षक से यात्रा न करने का प्रमाण पत्र लेकर टिकट की पूरी धनराशि वापस ले सकते है।
5) रेल यात्रियों को स्टेशनो एवं गाड़ी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा करनी होगी।
6) वातानुकूलित कोचों में परदे नहीं लगाये जायेगे तथा यात्रा के दौरान बेडरोल नहीं दिए जायेगे।
7) स्टेशन पर प्लेटफार्म टिकट जारी नहीं किये जायेगे।
8) विशेष गाड़ी की धनवापसी के नियम पूर्ववत रहेगे।
9) यात्रा के दौरान कम से कम सामान के साथ यात्रा करे।
10) कोविड–19 महामारी के दौरान रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय के आदेश के तहत, अपील करता है कि पूर्व ग्रसित बीमारी (जैसे उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, कर्क रोग, कम प्रतिरक्षा आदि) वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलायें, 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे एवं 65 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए, जब तक अत्यंत आवश्यक न हो रेल यात्रा करने से बचें।

यात्रियों से अनुरोध है वह अपने प्रस्थान स्टेशन तथा गतव्य स्टेशन पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध, में जारी किये गए जो दिए गए दिशा निर्देश का पालन करे।

संख्याः पमरे/मुख्या/मुजसअधि/प्रेस विज्ञप्ति/15/2020 दिनाँक 30.05.2020

सम्माननीय संपादक,

कृपया जनहित में उपरोक्त समाचार अपने लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कर सहयोग करें।

सधन्यवाद ।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर